कार्यकारी सारांश

मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार के अंकेक्षित लेखाओं के आधार पर, यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वित्त की एक विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान करती है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

राजकोषीय स्थिति

राज्य ने वर्ष के दौरान ₹ 29,827 करोड़ का राजकोषीय घाटा दर्ज किया जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 15,103 करोड़ बढ़ गया। 2020–21 के दौरान, राज्य को 2004–05 के बाद दूसरी बार ₹ 11,325 करोड़ के राजस्व घाटे का सामना करना पड़ा। पूँजी खंड के तहत राजस्व लेनदेन के गलत वर्गीकरण की घटनाएँ और अन्य देनदारियों के गैर–लेखांकन के मामले थे, जो घाटे को और अधिक बढ़ा देते थे, जैसा कि प्रतिवेदन में बताया गया है।

यद्यपि जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा बी0एफ0आर0बी0एम0 के संशोधित लक्ष्यों के भीतर था लेकिन यह बजट अनुमानों के अनुसार नहीं था। हालाँकि, जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष बकाया ऋण पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमानों के भीतर था।

(अध्याय I)

राज्य का वित्त

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020–21 के दौरान, राज्य ने मुख्य रूप से स्व करेत्तर में वृद्धि के कारण, राजस्व प्राप्तियों में ₹ 3,936 करोड़ (3.17 प्रतिशत) की वृद्धि।

वर्ष के दौरान मुख्य रूप से प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि के कारण राजस्व व्यय में ₹ 13,476 करोड़ (10.69 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। साथ ही, राज्य सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में परिसंपत्तियों के निर्माण पर व्यय 47.99 प्रतिशत बढ़ा दिया है।

वर्ष के अंत में बकाया लोक ऋण में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 29,035 करोड़ (19.59 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है।

राज्य की देनदारियाँ साल–दर–साल बढ़ रही हैं और वर्ष 2020–21 के दौरान 53.92 प्रतिशत से अधिक उधार का उपयोग इसके पुनर्भुगतान के लिए किया गया, जिससे राज्य में परिसंपत्तियों का निर्माण प्रभावित हुआ।

(अध्याय II)

बजटीय प्रबंधन

राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान कुल प्रावधान (₹ 2,45,522.62 करोड़) के विरुद्ध ₹ 1,67,915.40 करोड़ (68.39 प्रतिशत) का व्यय किया है। अनुपूरक प्रावधान (₹ 33,761.12 करोड़) पूरी तरह से अनावश्यक हो गया क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं था।

कुल बचत ₹ 77,607.22 करोड़ में से केवल 16.84 प्रतिशत (₹ 13,067.33 करोड़) का अभ्यर्पण वर्ष के दौरान हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 64,539.89 करोड़ की बचत (कुल बचत का 83.16 प्रतिशत) का अभ्यर्पण नहीं हुआ।

2020–21 के दौरान, 44 मामलों (35 अनुदानों/विनियोगों) में ₹ 17,855.06 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ या अधिक) के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए और पूरी तरह से अप्रयुक्त रहे क्योंकि व्यय (₹ 1,10,142.09 करोड़) मूल प्रावधान (₹ 1,50,136.86 करोड़) के स्तर तक भी नहीं पहुँचा था।

जेंडर बजट में 29 श्रेणी 'अ' योजनाओं के लिए ₹ 2,932.69 करोड़ की निधि होने के बावजूद कोई व्यय नहीं किया गया। बाल कल्याण बजट में ₹ 2,958.33 करोड़ की राशि होने के बावजूद 48 योजनाओं पर राज्य सरकार एक भी रुपया खर्च करने में विफल रही। हरित बजट तैयार करने वाला बिहार देश में पहला राज्य था। छह श्रेणियों के तहत 231 योजनाओं के लिए ₹ 5,693.88 करोड़ का प्रावधान किया गया था। तथापि, समूह 'अ' के रूप में वर्गीकृत 66 योजनाओं में से 13 योजनाओं में कोई व्यय नहीं किया गया।

(अध्याय III)

लेखाओं की गुणवता एवं वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार

श्रम उपकर की वसूली के लिए अलग से एक उपशीर्ष (8443–00–108–0004) खोले जाने के बावजूद वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान संग्रहित की गई कुल राशि "भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड" को हस्तांतरित नहीं की गई है। शीर्ष 8443–00–108–0004 में 31.03.2021 को ₹ 85.53 करोड़ का अंत शेष था। बिहार जिला खनिज फाउण्डेशन के लिए निधि संग्रहण हेतु कोई पृथक उपशीर्ष नहीं खोला गया है जिससे इन निधियों का लेखांकन एवं अनुश्रवण कठिन हो जाता है।

31 मार्च 2021 को 252 व्यक्तिगत जमा खाता (पी0डी0) में ₹ 3,811.33 करोड़ अंतशेष था। 90 नए पी0डी0 खाते खोले गए जिनमें ₹ 199.17 करोड़ की राशि जमा की गई। बजटीय प्रक्रिया की सार्थकता बनाए रखने के लिए पी0डी0 खातों के उपयोग को कम करना अनिवार्य है क्योंकि इन जमा खातों में जमा की गई राशि को राज्य सरकार द्वारा व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है, जबकि वास्तविक व्यय नहीं होता है।

इसके अलावा, व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सी0एफ0एम0एस0) और वित्त लेखे के अनुसार पी0डी0 खातों की संख्या और उनमें पड़ी राशि में अंतर था, जो मुख्य रूप से सी0टी0एम0आई0एस0 से सी0एफ0एम0एस0 प्रणाली में शेष राशि के अहस्तांतरण या हस्तांतरण में त्रुटि के कारण था। जिसमें समाशोधन की आवश्यकता है। सी0एफ0एम0एस0 और वित्त लेखे के शेष के बीच महत्वपूर्ण अंतर देखा गया।

31 मार्च 2021 तक ₹ 92,687.31 करोड़ की राशि के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू0सी0) बकाया थे जो निधियों के दुर्विनियोजन और धोखाधड़ी के जोखिम से भरा है।

कुल 26,504 ए0सी0 विपत्रों की राशि ₹ 13,459.71 करोड़ को मार्च 2021 तक समायोजित नहीं किया गया। इनमें से 1833 ए0सी0 विपत्रों की कुल राशि ₹ 429.32 करोड़ (कुल आहरित 6,308 ए0सी0 विपत्रों की राशि ₹ 4,834.28 करोड़ का 8.88 प्रतिशत) को मार्च 2021 में आहरित किया गया। ए0सी0 विपत्रों के विरुद्ध डी0सी0 विपत्रों का जमा न करना दुर्विनियोजन तथा दुरुपयोग की सम्भावना को बढ़ाता है।

102–उचंत लेखा–सिविल के तहत निधि में पिछले वर्ष 2019–20 (निवल नामे 9,857.46 करोड़) की तुलना में 2020–21 में (निवल नामे 14,527.78 करोड़) वृद्धि हुई।

(अध्याय IV)

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (एस0पी0एस0ई0)

इस प्रतिवेदन में शामिल एस0पी0एस0ई0 ने अपने नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार ₹ 19,352.10 करोड़ का वार्षिक कारोबार दर्ज किया। यह कारोबार वर्ष 2020–21 के लिए जी0एस0डी0पी0 के 3.13 प्रतिशत (₹ 6,18,628 करोड़) के समतुल्य था।

31 मार्च 2021 तक, इस प्रतिवेदन में शामिल एस0पी0एस0ई0 में कुल निवेश (अंशपूँजी और दीर्घकालिक ऋण) ₹ 45,798.12 करोड़ था। निवेश में अंशपूँजी 84.74 प्रतिशत (₹ 38,807.43 करोड़) और लंबी अवधि के ऋण 15.26 प्रतिशत (₹ 6,990.69 करोड़) शामिल थे। राज्य सरकार की अंश पूँजी में ₹ 38,419.14 करोड़

की अंशपूँजी शामिल थी। राज्य सरकार द्वारा दिया गया ₹ 1,897.21 करोड़ का ऋण 31 मार्च 2021 तक बकाया था। पिछले वर्ष की तुलना में, एस0पी0एस0ई0 की अंशपूँजी में राज्य सरकार की हिस्सेदारी में ₹ 33.01 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज की गई।

सरकार ने अगस्त 2021 तक 15 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (एस0पी0एस0ई0), दो सांविधिक निगमों और 16 अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को ₹ 20,145.84 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान की, जिनके लेखे 31 मार्च 2021 तक बकाया थे। ये एस0पी0एस0ई0 कंपनी अधिनियम/संबंधित सांविधिक निगमों/सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन कर पिछले एक से 44 वर्षों के लिए अपने लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया है।

प्रतिवेदन में शामिल 18 एस0पी0एस0ई0 में से नौ एस0पी0एस0ई0 ने वर्ष 2020–21 के दौरान लाभ अर्जित किया। अर्जित लाभ 2019–20 के ₹ 600.99 करोड़ से बढ़कर 2020–21 में ₹ 724.17 करोड़ हो गया। 2020–21 में सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाली कंपनी बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड (₹ 154.82 करोड़) थी। 2020–21 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले नौ एस0पी0एस0ई0 की कुल संपत्ति ₹ 10,072.57 करोड़ थी। इन नौ एस0पी0एस0ई0 का अंशपूँजी पर प्रतिफल (आर0ओ0ई0) 2019–20 के 6.10 प्रतिशत की तुलना में 7.19 प्रतिशत था। 2020–21 में पाँच घाटे में और चार न लाभ न हानि वाली कंपनियों सहित सभी 18 एस0पी0एस0ई0 का आर0ओ0ई0 (-)12.10 प्रतिशत था।

31 मार्च 2021 तक, 18 एस0पी0एस0ई0 में से केवल पाँच ऐसे एस0पी0एस0ई0 थे जिन्हें ₹ 3,213.13 करोड़ की हानि हुई। इन पाँच एस0पी0एस0ई0 का संचित घाटा और निवल मूल्य, ₹ 28,852.90 करोड़ के अंशपूँजी निवेश के मुकाबले क्रमशः ₹ 19,629.17 करोड़ और ₹ 9,223.73 करोड़ था। पाँच एस0पी0एस0ई0 का निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया था, और यह 31 मार्च 2021 को ₹ 85.60 करोड़ के अंशपूँजी निवेश के मुकाबले (-) ₹ 587.82 करोड़ था।

(अध्याय V)